

कार्यालय : सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक: उ०वि०शि०प०-छा०/केन्द्रीय छात्रवृत्ति/५३-५६/२०१८-१९ दिनांक ०३ अगस्त २०१८।

:: विज्ञप्ति ::

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कालेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को ६१६ छात्रवृत्ति (३०८ बालकों तथा ३०८ बालिकाओं) के लिए संस्तुत की जानी है। मंत्रालय द्वारा इस छात्रवृत्ति के लिए आई विद्यार्थियों का चयन इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2018 में Top 20 Percentile (छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिये आई छात्रों की सूची उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की बेवसाइट www.ubse.uk.gov.in पर उपलब्ध है) में उत्तीर्ण विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों के परीक्षार्थियों में से किया जाना है। छात्रवृत्ति हेतु चयनित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रथम तीन वर्षों में ₹० 10000.00 (दस हजार रुपया मात्र) प्रति वर्ष एवं चौथे तथा पांचवे वर्ष में ₹० 20000.00 (बीस हजार रुपया मात्र) प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बी०टेक० एवं बी०इ० पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्ति केवल स्नातक स्तर तक देय है। छात्रवृत्ति में आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार के मानकों के अनुरूप है। छात्रवृत्ति हेतु Top 20 Percentile के आधार पर निम्न योग्यताधारी ही अहं होंगे—

१. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2018 के Top 20 Percentile में उत्तीर्ण विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने हेतु अहं होंगे।
२. आवेदक (विद्यार्थी) संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सत्र 2018-19 में किसी मान्यता प्राप्त कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्ति देय नहीं है।
३. विद्यार्थी को किसी अन्य स्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो।
४. विद्यार्थी के अभिभावकों की सकल वार्षिक आय रुपया ८.०० लाख (रुपये आठ लाख) से अधिक न हो।

उक्त योग्यताधारी जो विद्यार्थी उक्त Fresh छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे National Scholarship Portal (<http://Scholarships.gov.in>) पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन कर सकते हैं।

- इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2018 के Top 20 Percentile परीक्षार्थी (नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति हेतु केवल Scholarship Portal (<http://Scholarships.gov.in>) पर ही ऑनलाइन आवेदन करें। छात्रवृत्ति हेतु पूरित आवेदन पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को कदापि प्रेषित न करें।
- जिन विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 हेतु नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति प्रदान की गयी थी। यदि वे क्रमशः तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु अहं हों तो Scholarship Portal (<http://Scholarships.gov.in>) पर दिनांक 31 अक्टूबर 2018 से पूर्व ऑनलाइन renewal हेतु आवेदन करें।
- केन्द्रीय छात्रवृत्ति (Fresh/Renewal) हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थी का स्वयं के नाम से बैंक खाता किसी भी सी०बी०एस० बैंक शाखा में हो और बैंक खाता आधार नम्बर से लिंक हो।
- जिन विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2014 हेतु नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति प्रदान की गयी थी। यदि वे नवीनीकरण हेतु अहं हों तो उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की बेवसाइट www.ubse.uk.gov.in से संशोधित नवीनीकरण आवेदन पत्र डाउनलोड करने के उपरान्त फॉर्म को पूरित कर अंक तालिका की प्रमाणित प्रति सहित परिषद् कार्यालय को दिनांक 31 अक्टूबर 2018 तक उपलब्ध करायें। अन्यथा की स्थिति में यदि वे छात्रवृत्ति से वंचित होते हैं तो स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु (नवीनीकरण हेतु) अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक (सत्र 2018-19 से लागू) प्राप्त करना, कक्षा में उपस्थिति 75% होना तथा किसी भी प्रकार के रैगिंग (Ragging) की गतिविधियों में सम्मिलित न होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्रवृत्ति रखतः ही निरस्त हो जायेगी।
- छात्रवृत्ति हेतु सभी ऑनलाइन आवेदनकर्ता विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र को अपने शिक्षण संस्थान से Online सत्यापन (Verified) करायें। संस्थान से Online Verified न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- छात्रवृत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी National Scholarship Portal (<http://Scholarships.gov.in>) पर प्राप्त की जा सकती है।

उक्त कट ऑफ मेरिट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु मात्र अह बनाता है, तथा छात्रवृत्ति प्राप्त होने की कोई गारन्टी नहीं देता है। छात्रवृत्ति का अंतिम आवंटन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गयी योग्यता सूची एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्तराखण्ड बोर्ड के कुल 618 विद्यार्थियों (308 बालक एवं 308 बालिकाओं) को देय होगी, जिसमें परिषद् कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है।

(डॉ० नीता तिवारी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

पृ०स० : उ०विंश०प०-छा०/केन्द्रीय छात्रवृत्ति/ ५३-५६ /२०१८-१९, दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्न की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, छात्रवृत्ति अनुभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि उक्त छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों/संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का कष्ट करें।
3. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय उत्तराखण्ड।
4. निदेशक (मा०शि०)/समाप्ति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् देहरादून।

(डॉ० नीता तिवारी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।